राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :— 5871/2021

चन्द्र प्रकाश **—अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. महानिदेशक, पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
3. आयुक्त, पुलिस आयुक्तालय, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 08.11.2021
आदेश की दिनांक : 21.07.2023

उपस्थित —
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :— शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावडा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावे कि पुलिस महानिदेशक की अभिशंषा दिनांक 23.06.2016 एवं 01.09.2016 के आधार पर नियम 1954 के नियम 28एएए के प्रावधानानुसार रिक्ति वर्ष 2013—14 के विरूद्ध राजस्थान पुलिस सेवा कनिष्ठ वेतन श्रृंखला के पद पर आउट ऑफ टर्न पदोन्नति दिये जाने के निर्देश फरमाये जावे और समस्त पारिणामिक लाभ उक्त वेतन श्रृंखला में दिनांक 01.04.2013 से निर्धारित किये जाने के आदेश फरमाए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :—

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 01.01.1999 को पुलिस उप निरीक्षक के पद पर राजस्थान पुलिस अधिनस्थ सेवा नियम 1989 के तहत हुई थी। और वर्ष 2010—11 की रिक्तियों के विरूद्ध पुलिस निरीक्षक के पद पर आदेश दिनांक 26.06.2012 के द्वारा पदोन्नत किया गया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा वरिष्ठता सूची दिनांक 03.06.2021 जारी की गई। अपीलार्थी पुलिस निरीक्षक थाना प्रभारी विद्याधर नगर, जयपुर में कार्य कर रहा था ओर आईआईएफएल गोल्ड फाईनेंस

कम्पनी एवं मन्नापुरम गोल्ड फाईनेंस कम्पनी में गोल्ड डकैती की वारदातों को ट्रेस आउट कर हार्डकौर अपराधियों की धडपकड आदि का कार्य करने पर एवं शौर्यपूर्ण कार्य करने पर अपीलार्थी का नाम आरपीएस कनिष्ठ वेतन श्रृंखला के पद पर विशेष पदोन्नति हेतु अभिशंषा की गई। दिनांक 01.09.2016 को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक द्वारा वरिष्ठ शासन सचिव, गृह विभाग को अपीलार्थी की विशेष पदोन्नति हेतु पत्र लिखा गया और पत्र दिनांक 01.05.2017 के द्वारा विशेष पदोन्नति हेतु विचार करने के लिए लिखा गया। राजस्थान सेवा नियम 1954 में वर्ष 1998 में नियम 28एएए विशेष पदोन्नति के लिए उक्त नियम के आधार पर कार्मिकों की पदोन्नति के लिए प्रावधान किया गया। परन्तु वर्तमान प्रकरण में अपीलार्थी के पक्ष में आउट ऑफ टर्न पदोन्नति के लिए जो अपीलार्थी द्वारा विशेष कार्य किया गया, के तहत पदोन्नति हेतु अभिशंषा की गई, परन्तु उक्त अभिशंषा के संबंध में विभाग द्वारा कोई निर्णय नही लिया गया। उक्त नियमानुसार यदि कोई कार्मिक विशेष एवं बहादुरी का कार्य करता है तो उसे विशेष पदोन्नति का प्रावधान है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी इस प्रकार के कई मामलों में कई सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये है। इस प्रकार अपीलार्थी रिक्ति वर्ष 2013–14 के विरूद्ध आरपीएस कनिष्ठ वेतन श्रृंखला के पद पर विशेष पदोन्नति प्राप्त करने का हकदार है।

उनका कथन है कि नियम 28एएए के तहत पुरस्कार समिति का गठन किया गया है और उक्त समिति द्वारा अपीलार्थी एवं अन्य कार्मिक के नाम पर अन्य समिति के लिए अभिशंषा की गई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जयपुर (उत्तर) के द्वारा भी सम्मान करने के लिए कहा गया। उच्च पद के लिए आउट ऑफ टर्न पदोन्नति के संबंध में श्री नंदलाल जो उप निरीक्षक के पद पर एवं 4 अन्य कांन्स्टेबल को हैड कांन्स्टेबल के पद पर विशेष पदोन्नति प्रदान की गई, जिनका पूर्ण रूप से नेतृत्व अपीलार्थी द्वारा किया गया था, परन्तु अपीलार्थी को विशेष पदोन्नति का लाभ नहीं दिया गया। अपीलार्थी का मामला विशेष पदोन्नति के संबंध में राज्य सरकार के समक्ष लम्बित है। उनका यह भी कथन है कि सराहनीय कार्य करने पर अन्य कार्मिकों को भी अभिशंषा के आधार पर विशेष पदोन्नति पुलिस निरीक्षक से आरपीएस (जूनियर स्केल) में नियम 1954 के अंतर्गत प्रदान की गई है। इसी प्रकार श्री नंदलाल जो पुलिस उप निरीक्षक थे, उनको पुलिस निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया एवं अन्य 4 कांस्टेबलों को हैड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नत किया गया है, परंतु अपीलार्थी को पुलिस निरीक्षक से आरपीएस (जूनियर स्केल) के पद पर पदोन्नत नहीं किया गया जबकि अभिशंषा वर्ष 2016 में

विशेष पदोन्नति हेतु विभाग द्वारा की गई थी, जो आज भी राज्य सरकार के अधीन लम्बित है और अपीलार्थी को नियमित वेतन वृद्धि आदि का लाभ उक्त मामला लम्बित होने के कारण वर्ष 2016 से ही नहीं दिया गया तथा न ही वेतन निर्धारण किया गया है। अपीलार्थी ने उक्त मामले के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन दिया, परंतु उसका कोई निस्तारण नहीं किया गया।

अतः उक्त आधारों पर अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावे कि पुलिस महानिदेशक की अभिशंषा दिनांक 23.06.2016 एवं 01.09.2016 के आधार पर नियम 1954 के नियम 28एएए के प्रावधानानुसार रिक्ति वर्ष 2013–14 के विरूद्ध राजस्थान पुलिस सेवा कनिष्ठ वेतन श्रृंखला के पद पर आउट ऑफ टर्न पदोन्नति दिये जाने के निर्देश फरमाये जावे और समस्त पारिणामिक लाभ उक्त वेतन श्रृंखला में दिनांक 01.04.2013 से निर्धारित किये जाने के आदेश फरमाए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि वर्ष 1997 तक नियम 1954 में पुलिस निरीक्षक/कंपनी कमाण्डर को उप अधीक्षक पुलिस के पद पर आउट ऑफ टर्न पदोन्नति दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं था, परंतु वर्तमान में कार्मिक विभाग के अधिसूचना दिनांक 20.03.2023 द्वारा नियम 28एएए में संशोधन किया गया है, जिसमें आउट ऑफ टर्न पदोन्नति का प्रस्ताव प्राप्त होने पर परीक्षणोंपरांत/विचारोपरांत सक्षम स्तर से निर्णय लिए जाने का प्रावधान है। राज्य सरकार द्वारा आउट ऑफ टर्न पदोन्नति के संबंध में दिशा–निर्देश दिनांक 27.03.2023 जारी किए गए हैं, जिसमें अदम्य वीरता के असाधारण कार्य हेतु आउट ऑफ टर्न पदोन्नति देकर मेरिट की रिक्ति के विरूद्ध उप अधीक्षक पुलिस के पद पर नियुक्ति दिए जाने के लिए नियम 28एएए जोडा गया था। उक्त नियम 28ए (5) को वर्ष 2003 में जोडे जाने के बाद मेरिट की रिक्ति पर पदोन्नति दिए जाने का प्रावधान नहीं रहा तथा नियम 28एएए नियम 28ए (5) परस्पर विरोधी विधिक प्रावधान हो गए। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने जवाब का उल जवाब प्रस्तुत कर यह बहस की है कि श्री गोविन्द देथा जिनको आदेश दिनांक 13.08.1998 के द्वारा नियम संशोधन उपरांत एवं श्री भुपेन्द्र सिंह को भी नियम 28एएए के तहत विशेष पदोन्नति आरपीएस (जूनियर स्केल) के पद पर प्रदान की गई है। उक्त नियम का परीक्षण

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी जसंवत सिंह बालोत बनाम राजस्थान राज्य व अन्य एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 2011/2005 में पारित निर्णय दिनांक 01.09.2005 में किया गया, जिसमें नियम 28एएए के तहत विशेष पदोन्नति को उचित माना गया और इस प्रकार इस मामले में विशेष पदोन्नति दी गई। नियम 28एएए के तहत विशेष पदोन्नति रिक्ति वर्ष के विरूद्ध मेरिट के आधार पर जिस वर्ष में कार्मिक ने वीरतापूर्ण कार्य किया है, उस रिक्ति वर्ष के विरूद्ध उसे पदोन्नति दिए जाने का प्रावधान है। उनका यह भी कथन है कि नियम 28एएए के तहत वर्ष 2003–04 से वर्ष 2005–06 में 5 पुलिस कर्मियों को आरपीएस (जूनियर स्केल) में पदोन्नत किया जा चुका है और इस प्रकार अपीलार्थी के लिए भी उक्त पद पर वीरतापूर्ण कार्य करने पर विशेष पदोन्नति हेतु रिक्ति वर्ष 2013–14 में विशेष पदोन्नति प्रदत्त करने हेतु पुलिस आयुक्त, जयपुर द्वारा अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (कार्मिक) को दिनांक 26.05.2016 को भेजी गई, जिसका आज दिनांक तक प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई निराकरण नहीं किया गया। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखों का अवलोकन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 01.01.1999 को पुलिस उप निरीक्षक के पद पर हुई थी और वर्ष 2010–11 की रिक्तियों के विरूद्ध पुलिस निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया। आईआईएफएल गोल्ड फाईनेंस कम्पनी एवं मन्नापुरम गोल्ड फाईनेंस कम्पनी में गोल्ड डकैती की वारदातों को ट्रेस आउट कर हार्डकौर अपराधियों की धडपकड आदि का कार्य करने पर एवं शौर्यपूर्ण कार्य करने पर अपीलार्थी का नाम आरपीएस कनिष्ठ वेतन श्रृंखला के पद पर विशेष पदोन्नति हेतु अभिशंषा की गई। दिनांक 01.09.2016 को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक द्वारा वरिष्ठ शासन सचिव, गृह विभाग को अपीलार्थी की विशेष पदोन्नति हेतु पत्र लिखा गया। राजस्थान सेवा नियम 1954 में वर्ष 1998 में नियम 28एएए विशेष पदोन्नति के लिए उक्त नियम के आधार पर कार्मिकों की पदोन्नति के लिए प्रावधान किए गए। परन्तु वर्तमान प्रकरण में अपीलार्थी के पक्ष में आउट ऑफ टर्न पदोन्नति के लिए जो अपीलार्थी द्वारा विशेष कार्य किया गया, के तहत पदोन्नति हेतु अभिशंषा की गई, परन्तु उक्त अभिशंषा के संबंध में विभाग द्वारा कोई निर्णय नही लिया गया।

श्री नंदलाल जो उप निरीक्षक के पद पर एवं 4 अन्य कांन्स्टेबल को हैड कांन्स्टेबल के पद पर विशेष पदोन्नति प्रदान की गई, जिनका पूर्ण रूप से नेतृत्व अपीलार्थी द्वारा किया गया था, परन्तु अपीलार्थी को विशेष पदोन्नति का लाभ नहीं दिया गया। जहां तक अपीलार्थी द्वारा वीरता, शौर्य एवं सराहनीय कार्य करने के उपरांत नियम 28एएए के तहत आरपीएस (जूनियर स्केल) के पद पर पदोन्नति नहीं किए जाने का प्रश्न है, आदेश दिनांक 02.02.2016 (अनुलग्नक–5) के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उक्त प्रकरण में अपीलार्थी की टीम में कार्य करने वाले कार्मिकों को विशेष पदोन्नति प्रदान की गई है। परंतु अपीलार्थी को विशेष पदोन्नति प्रदान नहीं की गई। जबकि टीम का पूर्ण नेतृत्व अपीलार्थी द्वारा किया गया। राजस्थान पुलिस सेवा नियम 1954 में वर्ष 1997 तक पुलिस निरीक्षक/कम्पनी कमाण्डर को उप अधीक्षक पुलिस के पद पर आउट ऑफ टर्न पदोन्नति नहीं दिए जाने का प्रावधान था। परंतु उक्त नियम में संशोधन उपरांत नियम 28एएए के तहत पुलिस उप निरीक्षक से अग्रिम पद पर विशेष पदोन्नति प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है, जो राज्य सरकार के गृह विभाग द्वारा दिनांक 14.11.2005 को विशेष पदोन्नति हेतु दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं और उक्त नियम के तहत अनुलग्नक–13 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि पुलिस निरीक्षक/कम्पनी कमाण्डर को राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला में वर्ष 1997–98 के बाद कई कार्मिकों को कार्य वर्ष में ही विशेष पदोन्नति प्रदान की गई है। इस प्रकार हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत नहीं हैं कि अपीलार्थी को उक्त नियम के तहत विशेष पदोन्नति प्रदान नहीं की जा सकती। उक्त नियम को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 2011/2005 जसवंत सिंह बालोत व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य के निर्णय में भी उचित माना गया है। प्रत्यर्थी विभाग के कार्यालय पुलिस उपायुक्त (उत्तर), जयपुर द्वारा दिनांक 02.07.2014 एवं पुलिस आयुक्त, जयपुर द्वारा दिनांक 25.05.2016 के अवलोकन से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी की कार्य उपलब्धि वर्ष व रिक्ति वर्ष 2013–14 के विरूद्ध विशेष पदोन्नति प्रदान करने हेतु कार्यालय पुलिस महानिदेशक को अभिशंषा की गई। तदुपरान्त कार्यालय पुलिस महानिदेशक, राजस्थान, जयपुर द्वारा दिनांक 23.06.2016 को अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग को अपीलार्थी की विशेष पदोन्नति हेतु अभिशंषा की गई। परंतु विभाग द्वारा आज दिनांक तक उसका कोई निराकरण नहीं किया गया और उक्त मामले का निराकरण लम्बित होने के कारण वर्ष 2016 के बाद से पिछले 7 वर्ष से

अपीलार्थी की वार्षिक वेतन वृद्धि एवं सेवा लाभ आदि का भी भुगतान नहीं किया गया है। हमारे मत में उक्त गोल्ड डकैतियों में डकैतों का पता लगाने में अपीलार्थी की टीम में कार्य करने वाले अन्य सदस्यों को लगभग 9 वर्ष पूर्व ही विशेष पदोन्नति का लाभ दिया जा चुका है और अपीलार्थी का प्रकरण विभाग में लम्बे समय अंतराल तक लम्बित रखा जाना एवं प्रकरण लम्बित रखने के कारण वेतन वृद्धियां व वेतन निर्धारण का लाभ नहीं दिया जाना न्यायसंगत प्रकट नहीं होता है। अपीलार्थी की विशेष पदोन्नति हेतु नियमानुसार नियम 28एएए के तहत उचित प्रोफार्मा में अभिशंषा की गई है और इस प्रकार अपीलार्थी भी उक्त अभिशंषा के आधार पर कार्य वर्ष व रिक्ति वर्ष 2013–14 के विरूद्ध विशेष पदोन्नति (आउट ऑफ टर्न) राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला में पदोन्नति प्राप्त करने का हकदार है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा राजस्थान राज्य बनाम उम्मेद सिंह डी.बी.सी.एस.ए. संख्या 654/2015 में पारित निर्णय दिनांक 08.08.2016 जिसमें सरकार की अपील को खारिज किया और प्रार्थी को रूपये 20,000/– ईनाम राशि दी गई, को माननीय उच्च न्यायालय ने उसके कार्यों के आधार पर नियम 28ए के तहत विशेष पदोन्नति देने का निर्देश दिया। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है एवं प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, खण्डपीठ जोधपुर द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों एवं पुलिस महानिदेशक राजस्थान, जयपुर की अभिशंषा दिनांक 23.06.2016, पुलिस उपायुक्त (उत्तर), जयपुर दिनांक 02.07.2014 तथा पुलिस आयुक्त, जयपुर दिनांक 25.05.2016 द्वारा की गई अभिशंषा के आधार पर कार्य वर्ष 2013–14 के विरूद्ध नियम 28एएए के तहत अग्रिम पदोन्नति पुलिस निरीक्षक से राजस्थान पुलिस सेवा कनिष्ठ वेतन श्रृंखला में पदोन्नति हेतु अपीलार्थी के नाम पर विचार किया जावे एवं पदोन्नति उपरांत वरिष्ठता एवं सेवा लाभ सहित समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किए जावें। उक्त निर्देशों की पालना इस आदेश के जारी होने की दिनांक से तीन माह में सुनिश्चित की जावे।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य